Unit 01. भारत में स्वास्थ्य प्रणाली (Health System in India)

Q. भारत में राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठन को विस्तार से समझाइए।

Describe the national level health services organization in India in detail.

उत्तर- राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन (Health Organization at National Level) -

केन्द्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठनात्मक ढाँचे के निम्न तीन अंग होते हैं-

The organizational structure of health services at the central level has the following three parts-

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare)
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services)
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद (Central Council of Health)

1. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) -

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुखिया प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होता है जिसे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं व एक या एक से अधिक केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हो सकते हैं जिनका प्रमुख कार्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सहयोग करना होता है। इस मंत्रालय में निम्न दो विभाग सम्मिलित होते हैं-

The Union Ministry of Health and Family Welfare is headed by a Cabinet Minister appointed by the Prime Minister, who is called the Union Health Minister and there can also be one or more Union Ministers of State for Health, whose main function is to assist the Union Health Minister. The following two departments are included in this ministry-

- स्वास्थ्य विभाग (Department of Health)
- परिवार कल्याण विभाग (Department of Family Welfare)

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मुखिया सचिव (Secretary) होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।

स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (Additional Health Secretary), संयुक्त स्वास्थ्य सचिव (Joint Health Secretary), उप स्वास्थ्य सचिव (Deputy Health Secretary) आदि की पूरी एक टीम होती है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services, DGHS) स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

The Central Health and Family Welfare Department is headed by the Secretary, who is an officer of the Indian Administrative Service. There is a whole team of Additional Health Secretary, Joint Health Secretary, Deputy Health Secretary etc. to provide assistance in the activities carried out by the Health Secretary. The Directorate General of Health Services (DGHS) provides technical assistance to the Health Department on various health related issues.

स्वास्थ्य विभाग के कार्य (Functions of Health Department)

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को संघ सूची (union list) तथा समवर्ती सूची (concurrent list) में वर्णित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-

The functions performed by the Health Department have been described in the union list and concurrent list, some of the major ones are as follows-

1. विभिन्न देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ स्वास्थ्य संबंध (health relation) स्थापित करना।

2. देश के स्वास्थ्य स्तर तथा रुग्णता स्तर के संबंध में आँकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे करवाना।

3. स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधानों को बढ़ावा देना।

4. विभिन्न केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, जी.एन.एम. एवं ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों, पैरामेडिकल सेवाओं आदि के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना।

5. देश में औषधियों की उचित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मापदण्डों का निर्धारण करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन (drug control organization) की स्थापना की गई है।

6. विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करना।

7. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना।

8. देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी नियोजन एवं

क्रियान्वयन का कार्य करना जैसे-

- राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम
- राष्ट्रीय एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- टीकाकरण कार्यक्रम
- परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम
- पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम
- समेकित बाल विकास योजना आदि।

9. बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य एवं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

10. देश में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाओं (voluntary health agencies) तथा गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Governmental Organizations) को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना।

1. To establish health relations with various countries and international organizations.

2. To conduct various surveys to obtain data regarding the health level and morbidity level of the country.

3. To promote various researches for better implementation of health services and to make them more effective.

4. Various Central Health Institutions, Medical and Nursing Colleges, G.N.M. And A.N.M. To ensure smooth operation of training centres, paramedical services etc.

5. To determine the parameters to maintain proper quality of medicines in the country. To achieve this objective, a drug control organization has been established under the Directorate General of Health Services.

6. To work in collaboration with various state governments for planning and implementation of various health services in the country.

7. To ensure complete health care for Central Government employees.

8. To carry out effective planning and implementation of various health programs and health schemes in the country such as-

- National Malaria Control Program
- National Tuberculosis Elimination Program
- National Leprosy Eradication Program

various nutrition programs

- National AIDS Disease Control Program
- vaccination program
- Family Planning and Family Welfare Program
- pulse polio vaccination program
- Integrated Child Development Scheme etc.

nursingguyan.com

9. To establish coordination with state and other central ministries for better health services.

10. To provide technical and financial assistance to various voluntary health agencies and non-governmental organizations working in the country.

परिवार कल्याण विभाग के कार्य (Functions of Family Welfare Department)

परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्पादित की जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ निम्न हैं-

The main activities performed by the Family Welfare Department are as follows-

1. सम्पूर्ण देश में परिवार कल्याण केन्द्रों के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना।

2. इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाली तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेन्सीज (voluntary health agencies) को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।

3. जन-समुदाय में कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता प्रदान करना ताकि वे इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

4. गर्भ निरोधन के विभिन्न अस्थायी एवं स्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इसके लिए निरोध एवं मुँह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण करना, निःशुल्क कॉपर-टी लगाना, ट्यूबेक्टोमी तथा बेसेक्टोमी शिविरों का आयोजन करना आदि शामिल हैं।

5. जन-समुदाय को अपने परिवार का आकार छोटा रखने तथा दो बच्चों के मध्य कम से कम तीन साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना।

6. स्वास्थ्य संबंधी वाछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्य संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित करना।

1. To ensure smooth operation of family welfare programs through family welfare centers across the country.

2. To provide financial and technical assistance to voluntary health agencies interested in this program and ready to provide effective health services to make the program successful.

3. To provide awareness about the programs among the public so that they can take advantage of the health services provided under it.

4. To ensure availability of various temporary and permanent means of contraception. This includes free distribution of birth control and oral contraceptive pills, free Copper-T, organizing tubectomy and basemectomy camps, etc.

5. To motivate the people to keep their family size small and keep a gap of at least three years between two children.

6. To establish coordination with other concerned departments to achieve the desired health related goals.

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services)-

इसे सक्षिप्त में DGHS भी कहते हैं।

यह निदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के लिए स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है।

इसका मुखिया महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (Director General, Health services) होता है।

स्वास्थ्य संबंधी योजना निर्माण में उसकी सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक की एक टीम तथा कई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

Directorate General of Health Services also abbreviated as DGHS.

This directorate plays the role of the main advisor to the Union Ministry of Health and Family Welfare to resolve various health related issues.

It is headed by the Director General, Health Services. An Additional Director General, a tome of Deputy Director General to assist him in health related planning And there are many administrative officers.

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कार्य (Functions of Directorate General of Health Services) -

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्न हैं-

The main tasks performed by the Directorate General of Services are as follows-

1. देश के स्वास्थ्य स्तर के आँकलन हेतु विभिन्न सर्वेक्षण करवाना तथा प्राप्त आँकड़ों की व्याख्या करना।

2. देश में प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा एवं संप्रेषण के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (Central Health Education Bureau) की शुरूआत 1956 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

के अंतर्गत की गई।

3. विभिन्न बीमारियों के कारण, नैदानिक विधियाँ (diagnostic methods) रोकथाम के उपाय, उपचारात्मक पद्धतियाँ आदि के बारे में नवीनतम जानकारियाँ हासिल करने के लिए अनुसंधान (research) को बढ़ावा देना।

4. देश में कार्यरत विभिन्न मेडिकल, नर्सिंग तथा पैरा मेडिकल सेवाओं के स्टैण्डर्ड को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरता रहना।

5. देश में औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए मापदण्ड (criteria) निर्धारित करना तथा उन्हें बनाये रखना।

6. सेन्ट्रल मेडिकल लाइब्रेरी (central medical library) के रख-रखाव का कार्य करना।

7. देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना निर्माण करना तथा अन्य संबंधित सेक्टरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

1. To conduct various surveys to assess the health level of the country and interpret the data obtained.

2. For the implementation of effective health education and communication in the country, the Central Health Education Bureau was started in 1956 by the Directorate General of Health Services under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

3. To promote research to obtain latest information about the causes, diagnostic methods, prevention methods, therapeutic methods etc. of various diseases.

4. Efforts to maintain the standards of various medical, nursing

and paramedical services working in the country.stay.

5. To determine and maintain criteria to maintain the quality of medicines in the country.

6. To do the work of maintenance of the central medical library.

7. To make plans and establish coordination with other related sectors to ensure availability of better health services in the country.

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद (Central Council of Health)-

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी।

इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित कर पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

Central Health Council was established in August 1952. The main objective behind its establishment was to ensure effective implementation of health services and health programs in the entire country by establishing coordination between the Central Government and the State Governments.

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के कार्य (Functions of Council Health) -

1. स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों पर वृहद स्तर पर नीतियों की सिफारिश करना जैसे-

- बेहतर रोकथामात्मक, नैदानिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन।

- पर्यावरणीय स्वच्छता एवं प्रदूषणों की रोकथाम।

nursingguyan.com

- स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान
- उपयुक्त पोषण
- टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ आदि का क्रियान्वयन।

2. चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों के बारे में कानून बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

3. उपलब्ध अनुदान के उपभोग के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करना।

4. उपलब्ध अनुदान के वितरण के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करना।

5. केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के मध्य सामंजस्य करने के लिए संगठनों की स्थापना करना।

1. To recommend policies at macro level on all health related issues like-

- Implementation of better preventive, diagnostic and curative health services.
- Environmental cleanliness and prevention of pollution.
- Health Education and Research
- proper nutrition
- Implementation of vaccination, family planning services, maternal and child health services etc.

2. To prepare proposals for making laws regarding medical and

public health matters.

3. To review the progress made in various areas after utilization of available grants.

4. To submit recommendations regarding distribution of available grants.

5. To establish organizations to coordinate between the Central Health Administration and the State Health Administration.

Q. राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझाइए।

Describe the health services organization and functions at state level.

उत्तर- राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढाँचा

(Organizational Setup of Health Services at State Level) -

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, नीति-निर्धारण एवं योजना निर्माण के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के मध्य एक सामंजस्य होता है व केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनको आवश्यकतानुसार आर्थिक तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के निम्न मुख्य अंग होते हैं-

To ensure the implementation of better health services, there is a coordination between the Central Health Administration and the State Health Administration during policy formulation and planning and the Central Government also provides financial and technical assistance to the state governments as per their requirement. Provides.

State health administration has the following main organs:

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार (Ministry of Health and Family Welfare, State Government)
2. राज्य स्वास्थ्य सचिवालय (State Health Secretariate)
3. राज्य स्वास्थ्य निदेशालय (State Health Directorate)

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार (Ministry of Health and Family Welfare, State Government) -

राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुखिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राज्य सरकार होता है जो एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है एवं जिसकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।

इसे सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य मंत्री (state minister) भी होता है।

ये सभी विधान सभा या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

स्वास्थ्य नीति-निर्धारण आदि संबंधी कार्य में स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य निदेशक इन मंत्रियों का सहयोग करते हैं।

स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं।

At the state level, the Ministry of Health and Family Welfare is headed by the Minister of Health and Family Welfare, State Government, who is a cabinet level minister. And whose appointment is made by the Chief Minister of the state. There is also a Minister of State to provide support to it. All of them are elected members of the Legislative Assembly or Legislative Council.

Health Secretary and Health Director assist these ministers in work related to health policy making etc. Health Secretary and Health Director are members of the Indian Administrative Service and State Administrative Service.

2. राज्य स्वास्थ्य सचिवालय (State Health Secretariate)

प्रत्येक राज्य का अपना एक पृथक स्वास्थ्य सचिवालय होता है जिसका मुखिया स्वास्थ्य सचिव (Health Secretary) होता है।

यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S) का अधिकारी होता है।

इसे सहयोग प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (Additional Health Secretary), उप स्वास्थ्य सचिव (Deputy Health Secretary), सहायक स्वास्थ्य सचिव (Assistant Health Secretary) तथा अन्य प्रशासनिक स्टॉफ की टीम होती है।

Every state has its own separate health secretariat which is headed by the Health Secretary. He is an Indian Administrative Service (IAS) officer. To provide support to it, there is a team of Additional Health Secretary, Deputy Health Secretary, Assistant Health Secretary and other administrative staff.

राज्य स्वास्थ्य सचिवालय के कार्य (Functions of State Health Secretariate)

nursingguan.com

- स्वास्थ्य सचिवालय द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्न हैं-

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ नीति-निर्धारण करना तथा समय-समय पर इसमें किए जाने वाले परिवर्तनों के लिए आवश्यक सलाह-मशविरा करना।
- राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों पर किये जाने वाले खर्च के लिए मंत्री के साथ बजट तैयार करना।
- स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
- स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कानून तथा नियम तैयार करना।
- निर्धारित की गई नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा समय-समय पर इनका अवलोकन करना।
- जनसमुदाय को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त मात्रा में, आसानी से तथा उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- To formulate policy with the Minister of Health and Family Welfare and to hold necessary consultations for changes to be made in it from time to time.
- To prepare the budget with the Minister for the expenditure to be incurred on various items for the implementation of better health services in the state.
- To establish coordination with the Central Government and other state governments on various health related issues.
- To prepare various laws and rules related to health.
- To ensure implementation of the laid down policies and review them from time to time.

nursinggujan.com

- To ensure availability of all essential health services to the population in adequate quantity, easily and at a price they can afford.

3. राज्य स्वास्थ्य निदेशालय (State Health Directorate)

निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुखिया होता है जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।

यह विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श हेतु राज्य सरकार के लिए मुख्य सलाहकार (advisor) की भूमिका निभाता है।

निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक (joint director), उपनिदेशक (deputy director) तथा सहायक निदेशक (assistant director) भी नियुक्त किए जाते हैं।

the head of the State Health Directorate who is an officer of the State Administrative Service. It plays the role of chief advisor to the state government to discuss various health related issues. To assist the director, joint directors, deputy directors and assistant directors are also appointed.

राज्य स्वास्थ्य विभाग के कार्य (Functions of State Health Department) -

- राज्य के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
- विभिन्न अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा राज्य के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त रोकथामात्मक. नैदानिक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाना।

- राज्य में चल रहे मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, जी.एन.एम. तथा ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों, पैरामेडिकल कॉलेजों आदि का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना।

- बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु तथा आधुनिकतम उपचार तकनीकों का पता लगाने हेतु अनुसंधान (research) को प्रोत्साहन देना।

- राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

- औषधियों की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए मापदण्डों का निर्धारण करना।

- राज्य के स्वास्थ्य स्तर तथा मौजूद रुग्णता के संबंध में आँकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वे करवाना तथा प्राप्त आँकड़ों की व्याख्या कर निष्कर्ष निकालना।

राज्य के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टॉफ तथा अन्य कर्मिकों की नियुक्ति करना तथा उनका आवश्यकतानुसार स्थानांतरण करना।

- एलोपैथी के अतिरिक्त चिकित्सा की अन्य प्रणाली जैसे- आयुर्वेद, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी, यूनानी आदि को प्रोत्साहन देना।

- राज्य में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेन्सीज तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वच्छता, पोषण, औषधि नियंत्रण, खाद्य नियंत्रण आदि से संबंधित विभिन्न कानून तैयार करना।

- केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का राज्य में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा इनका अवलोकन करना।

- To coordinate with the Central Government and other State Governments to ensure implementation of better health services for the residents of the State.

- Appropriate preventive measures are being provided by various hospitals and health centers in all urban and rural areas of the state. To provide diagnostic and curative health services.

- Medical colleges, nursing colleges, G.N.M. running in the state. And A.N.M. To ensure smooth operation of training centres, paramedical colleges etc.

- To encourage research for the implementation of better health services and to explore the latest treatment techniques.

- To ensure proper implementation of various national health programs in the state.

- To determine standards to maintain the quality of medicines.

- Conducting a survey to collect data regarding the health level of the state and the existing morbidity and analyzing the data obtained.

- To interpret and draw conclusions.

- To appoint doctors, nursing staff, para medical staff and other personnel and transfer them as per requirement to provide better health services to the residents of the state.

- Apart from allopathy, to encourage other systems of medicine like Ayurveda, Homeopathy, Naturopathy, Unani etc.

- To provide financial and technical assistance to various voluntary health agencies and non-governmental organizations working in the state.

- To formulate various laws related to public health,

environmental sanitation, nutrition, drug control, food control etc.

- To ensure the implementation of health schemes and health programs run by the Central Government for the states and to monitor them.

Q. पंचायती राज स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझाइए।

Describe the health services organization and functions at panchayati raj.

अथवा

पंचायती राज के बारे में लिखिए।

Write about Panchayati Raj

उत्तर- पंचायती राज स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढाँचा (Organizational Setup of Health Services at Panchayati Raj)

पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है गांवों को जिला प्रशासन से जोड़ती है। इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार है-

Panchayati Raj system is based on a three-tier structure and connects villages with the district administration. Its three-tier system is as follows-

1. ग्राम स्तर पर पंचायत
2. ब्लॉक स्तर पर - पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर जिला परिषद्

1. Panchayat at village level
2. At block level - Panchayat Samiti
3. Zilla Parishad at district level

1. पंचायत - ग्राम स्तर पर पंचायत राज की दो इकाईयां हैं- ग्राम सभा व ग्राम पंचायत।

There are two units of Panchayat Raj at the village level - Gram Sabha and Gram Panchayat.

- **ग्राम सभा (Gram Sabha)** - इसमें गांव के सभी पंजीकृत व्यक्ति वर्ष में कम से कम दो बैठकों का आयोजन करते हैं। इन बैठकों में गांव के विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है जिसमें वहां के निवासियों के स्वास्थ्य मुद्दे भी शामिल होते हैं।

In this, all the registered persons of the village organize at least two meetings in a year. In these meetings, development related issues of the village are discussed which also includes health issues of the residents there.

- **ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)** ग्राम पंचायत लगभग 5000-15000 की जनसंख्या को कवर करती है। ग्राम पंचायत का मुखिया निर्वाचित सरपंच होता है व उसकी सहायता के लिए एक उपसरपंच भी निर्वाचित होता है।प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सरपंच का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष को होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजनाएं तैयार करती है।

Gram Panchayat covers a population of approximately 5000-15000. The head of the Gram Panchayat is the elected Sarpanch and a Deputy Sarpanch is also elected to assist him. Every Gram Panchayat has a Secretary who is appointed by the State Government. The tenure of Sarpanch is 3 to 4 years. Gram Panchayat prepares annual plans for the development of the area.

2. पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति लगभग 100 गांवों व 80000-100000 की जनसंख्या को कवर करती है।

इसका प्रमुख कार्य ब्लॉक में विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना व क्षेत्रीय निवासियों की स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को पूर्ण करना है।

पंचायत समिति के सदस्यों में ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, क्षेत्रीय सांसद, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

ब्लॉक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है जो राज्य सरकार का अधिकारी होता है।

At the block level, the Panchayat Samiti covers about 100 villages and a population of 80000-100000. Its main function is to implement development programs in the block and complete health related services to the regional residents. The members of the Panchayat Samiti include the Assembly members of the block area, regional MPs, Sarpanches of all Gram Panchayats, representatives of Scheduled Castes and Tribes. Block Development Officer (BDO) acts as the Secretary of the Panchayat Samiti who is an officer of the State Government.

3. जिला परिषद - जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है।

जिला परिषद का मुखिया निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।

Zilla Parishad is the institution of Panchayati Raj system at the district level. The head of the Zilla Parishad is the elected Zilla Pramukh. The tenure of the District Chief and District Council members is five years. The work done by all the Panchayat Committees under the Zilla Parishad is implemented.

Q. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से आप क्या समझते हैं?

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफिंग पैटर्न को समझाइए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के विभिन्न कार्यों का विवरण दीजिए।

What do you mean by Community Health Centre (CHC)?

Describe the staffing pattern of CHC.

Enumerate the various functions of CHC.

उत्तर- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Community Health Centre)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत सेवाएं उपलब्ध कराता है।

यह मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 जबकि पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है।

प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ (4 चिकित्सक) होते हैं।

प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 30 बिस्तर, एक एक्स-रे कक्ष, प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थियेटर और प्रयोगशाला की सुविधाएं भी होती हैं।

यह चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रैफरल केन्द्र का काम करता है।

Community Health Center Community Health Center provides services under rural health services. It covers a population of 1,20,000 in the plain areas and 80,000 in the hilly/tribal areas. Community health centers are established in every community development block.

The Community Health Center has a surgeon, physician, gynecologist and pediatrician (4 doctors). Each Community Health Center also has 30 beds, an X-ray room, delivery room, operation theater and laboratory facilities. It serves as a referral center for four primary health centres.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफिंग पैटर्न (Staffing Pattern of CHC) -

चिकित्सक (शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी तथा मेडिसन प्रत्येक में एक विशेषज्ञ)	4
नर्स (नर्स मिडवाइफ, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स/नर्स श्रेणी-II, नर्स श्रेणी-1).	7
ड्रेसर.	1
फार्मेसिस्ट/कम्पाउन्डर.	1

प्रयोगशाला सहायक.	1
रेडियोग्राफर.	1
वार्ड बॉय.	1
सफाई कर्मचारी.	3
धोबी.	1
माली.	1
चौकीदार.	1
आया.	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी .	1
कुल.	25

वाहन होने पर ड्राइवर तथा मांगलिक (auspicious) कार्य हेतु लिपिक रखा जा सकता है।

Doctors (one specialist each in pediatrics, gynaecology, surgery and medicine).	4
Nurse (Nurse Midwife, Community Health Nurse/Nurse Category-II, Nurse Category-I)	7
dresser.	1
Pharmacist/Compounder.	1
lab assistant.	1

radiographer.	1
ward boy.	1
Cleaners.	3
Washerman.	1
gardener.	1
watchman.	1
Maid.	1
Class IV staff.	1
Total.	25

If there is a vehicle, a driver and a clerk can be hired for auspicious work.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य [Functions of Community Health Centre (CHC)] -

1. विशेषज्ञ सेवाएं (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशुरोग) प्रदान करना।
2. सभी उपचारात्मक तथा रोग निवारक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करना।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य की निगरानी व निरीक्षण करना।
5. सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सक्रिय सहभागिता का होना।
6. शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करना।

7. रोगियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जिला अस्पताल / टीचिंग अस्पताल के लिए रैफर करना।

1. To provide specialist services (medicine, surgery, gynecology, pediatrics).

2. To provide all curative and preventive medical services.

3. To provide consultation facilities for primary health centres.

4. To monitor and inspect the work of primary health centres.

5. Implementation and active participation in all national health programs.

6. Providing child health and family planning services.

7. Referral of patients to District Hospital/Teaching Hospital when health care is not available.

Q. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से आप क्या समझते हैं?

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफिंग पैटर्न को समझाइये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विभिन्न कार्यों का विवरण दीजिये।

What do you mean by Primary Health Centre (PHC)?

Describe the staffing pattern of PHC.

Enumerate the various functions of PHC.

उत्तर- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Primary Health Centre)-

यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला सम्पर्क होता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का गठन मैदानी क्षेत्र की 30,000 जबकि पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्र की 20,000 जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है।

इनकी स्थापना एवं रख-रखाव राज्य सरकारों के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Basic Need Programme) के अन्तर्गत होता है।

इसमें रोगियों के लिए 4-6 बिस्तर होते हैं तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएँ भी उपलब्ध होती हैं।

This is the first contact between the rural community and the doctor. The primary health center has been formed to cover 30,000 population of plain area and 20,000 population of hilly/tribal area. Their establishment and maintenance is done under the Minimum Basic Need Program of the state governments. It has 4-6 beds for patients and some facilities related to diagnosis of diseases are also available.

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफिंग पैटर्न (Staffing Pattern of PHC) -

चिकित्सा अधिकारी.	1
नर्स.	1
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/ANM.	1
फार्मेसिस्ट.	1
प्रखंड विस्तार शिक्षक (Block Extension Educator)	1
स्वास्थ्य सहायक (पुरुष).	1

स्वास्थ्य सहायक (महिला)/L.H.V.	1
कनिष्ठ लिपिक.	1
वरिष्ठ लिपिक.	1
प्रयोगशाला सहायक (लैब टेक्नीशियन).	1
ड्राइवर.	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.	4
कुल.	15

medical officer.	1
Nurse.	1
Health Worker (Female)/ANM.	1
Pharmacist.	1
Block Extension Educator.	1
Health Assistant (Male).	1
Health Assistant (Female)/L.H.V.	1
Junior clerk.	1
senior clerk.	1
Laboratory Assistant (Lab Technician).	1
Driver.	1
Class IV staff.	4

Total.   15

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य [Functions of Primary Health Centre (PHC)] -

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निम्न प्रमुख कार्य होते हैं-

The following are the main tasks:

1. चिकित्सा देखभाल
2. स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता का ध्यान रखना
3. स्थानिक बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार
4. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित जैविक साख्यिकी का संग्रहण एवं रिर्पोट करना
5. स्वास्थ्य शिक्षा
6. परामर्श सेवाएं
7. आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
9. ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, स्थानीय दाई, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना।

1. Medical care
2. Taking care of clean supply and basic hygiene

3. Prevention and treatment of endemic diseases

4. Collection and reporting of biological statistics including reproductive and child health, family planning

5. Health education

6. Consulting Services

7. Basic Laboratory Services

8. National Health Program

9. To provide training to village health guides, local midwives, health workers and health assistants.

Q. उपकेन्द्र क्या है? समझाइए।

What is sub-centre? Describe it.

उत्तर- उपकेन्द्र (Sub-centre) -

यह ग्रामीण जन-समुदाय के लिए स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है। उपकेन्द्र का गठन मैदानी क्षेत्र की 5,000 जनसंख्या जबकि पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्र की 3,000 जनसंख्या को कवर करने हेतु किया जाता है।

This is the first unit of the health system for the rural population. The sub-centre is formed to cover 5,000 population of the plain area and 3,000 population of the hilly/tribal area.

स्टाफ (Staff) -

बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MHW). - 1

nursingguan.com

बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (FHW). - 1

Multipurpose Male Health Worker (MHW) - 1

Multipurpose Female Health Worker (FHW) - 1

अधिकांश उपकेन्द्रों का वित्त पोषण, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है, शेष उपकेन्द्र राज्य तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अथवा बुनियादी न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत वित्त पोषित हैं।

पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अर्थात 6 उपकेन्द्रों के पर्यवेक्षण का कार्य एक महिला स्वास्थ्य सहायक करती है।

Most of the sub-centres are funded by the Union Ministry of Health and Family Welfare, the remaining sub-centres are funded by the state and under the Minimum Needs Program or Basic Minimum Services. The salary of the male health worker is paid by the state government. The work of supervision of female health workers i.e. 6 sub-centres is done by a female health assistant.

उपकेन्द्र के कार्य (Functions of Sub-centre) -

- मातृ एवं बाल कल्याण की देखभाल
- परिवार नियोजन सेवाएं
- टीकाकरण सेवाएं
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, रैफरल सेवाएं, आदि

- Maternal and child welfare care
- family planning services
- Immunization services
- First aid facilities, referral services, etc.

Q. जनस्वास्थ्य कानून क्या है? जनस्वास्थ्य कानून का महत्व समझाइए।

What is Public Health Law? Explain the importance of public health law.

उत्तर- जनस्वास्थ्य कानून (Public Health Law) -

जनस्वास्थ्य कानून संगठित समाज की ऐसी वैधानिक शक्तियाँ एवं कर्तव्य हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों को स्वस्थ बनाए रखने की स्थितियाँ सुनिश्चित की जा सकती हैं।

जनस्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए प्रभावी जनस्वास्थ्य कानूनों का होना आवश्यक है जनस्वास्थ्य कानूनों के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं स्तर प्राप्त करना असंभव है।

भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य कानून निम्नलिखित हैं-

- उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986-
- खाद्य मिलावट निरोधक कानून, 1954
- औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1945
- चिकित्सीय गर्भपात कानून (MTP), 1971 आदि

Public Health Law is such statutory powers and duties of the organized society through which conditions for keeping people

nursinggujan.com

healthy can be ensured.

To face the problems arising in public health, it is necessary to have effective public health laws. In the absence of public health laws, the community It is impossible to maintain and achieve the standard of health.

Following are some important public health laws by the Government of India-

- Consumer Protection Act, 1986-
- Food Adulteration Prevention Act, 1954
- Drugs and Cosmetics Act, 1945
- Medical Abortion Act (MTP), 1971 etc.

जनस्वास्थ्य कानूनों का महत्व (Importance of Public Health Laws) -

जन स्वास्थ्य कानूनों के निम्नलिखित महत्व होते हैं-

1. देश की स्वास्थ्य संरचना को मजबूती प्रदान करना।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का पालन करना।
3. राष्ट्रीय संसाधनों का सही तरह से उपयोग करना।
4. स्वास्थ्य के लिए वित्तीय प्रबंधन एवं विभाग में बेहतर समन्वय करना।
5. स्वास्थ्य के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।
6. भोजन एवं पोषण स्तर में वृद्धि करना।
7. पर्यावरण स्वास्थ्य संरक्षण करना।

8. पर्यावरण प्रदूषण से बचाव करना।

9. नशीले पदार्थ या मद्यपान से नागरिकों को बचाना।

10. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ, शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं शोध में आचरण संहिता का पालन करना।

1. To strengthen the health structure of the country.

2. To follow national health rules.

3. To utilize national resources properly.

4. Financial management for health and better coordination among the departments.

5. Taking effective action for health.

6. To increase the food and nutrition level.

7. To protect environmental health.

8. To protect from environmental pollution.

9. To protect citizens from drugs or alcohol.

10. To follow the code of conduct in health and medical services, teaching and training and research.